

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक-06/सी0एम0टी0-(प्रदूषण)-43/2015 5020 परि0
30/9/16

आदेश

बिहार मोटरवाहन नियमावली, 1992 के नियम-163(ड) के अधीन श्री कृष्ण गोपाल, पिता-श्री कमलेश्वरी प्रसाद मंडल, ग्राम+पो0-किरणपुर, थाना- मेदनी चौक, जिला-लखीसराय के पक्ष में बी0के0प्रदूषण जाँच केन्द्र, भूसागली, भगत सिंह चौक के नजदीक, मुंगेर हेतु प्रदूषण जाँच केन्द्र अनुज्ञप्ति संख्या-246/2015 निर्गत किया गया था। जिसकी मान्य अवधि 06.09.2017 तक है।

अनुज्ञप्तिधारक श्री कृष्ण गोपाल द्वारा सरकारी सेवा में योगदान देने के कारण अनुज्ञप्ति को अनुज्ञापन पदाधिकारी के समक्ष प्रत्यर्पण किया गया है।

अतः बिहार मोटर गाड़ी नियमावली 192 के नियम 163(ड)(1) के तहत अनुज्ञप्ति संख्या-246/2015 का तत्काल प्रभाव से प्रत्यर्पण स्वीकार किया जाता है।

आदेश पर राज्य परिवहन आयुक्त-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी का आदेश प्राप्त है।



उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार पटना।

ज्ञापक-06/सी0एम0टी0-(प्रदूषण)-43/2015 5020 परि0

पटना दिनांक-30/9/16

प्रतिलिपि:-जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक, मुंगेर/बिहार राज्य प्रदूषण निगंत्रण पर्सद/ श्री कृष्ण गोपाल, पिता-श्री कमलेश्वरी प्रसाद मंडल, ग्राम+पो0-किरणपुर, थाना- मेदनी चौक, जिला-लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार पटना।